झारखंड उच्च न्यायालय
रांची

सिविल विविध याचिका संख्या 307/2022

दिनेश साह, उम्र लगभग 60 वर्ष, स्वर्गीय मोहन साह के पुत्र, निवासी बारा जिरवाबाड़ी (चानन), डाकघर बोरियो, थाना बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. शंकर साह पुत्र अघनु साह
2. स्वर्गीय भोला साह की पत्नी कामनी देवी
3. दीपक साह
4. बुधु साह

   स्वर्गीय भोला साह के दोनों पुत्र क्रमांक 3 एवं 4,

   नंबर 1 से 4 तक सभी ग्राम- बारा जिरवाबाड़ी, पो.ओ. के निवासी हैं। बोरियो, पी.एस. बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज।
5. सोनिया देवी, पुत्री स्वर्गीय भोला साह एवं पत्नी प्रमोद साह, निवासी लोहंडा, डाकघर लोहंडा, बोरियो बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज।
6. स्वर्गीय सुकाल साह के पुत्र महेंद्र साह
7. स्वर्गीय विश्वनाथ साह के पुत्र प्रयाग साह

सभी निवासी ग्राम-बारा जिरवाबाड़ी, पो. बोरियो, पी.एस. बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज।

8. गुजाई साह के पुत्र फागु साह, निवासी ग्राम- सनौली, डाकघर और थाना डंडखेर, जिला- कटिहार।

9. तेतरी देवी, स्वर्गीय परमेश्वर साह की पुत्री एवं स्वर्गीय छंगुली साह की पत्नी, निवासी पुराना सनौली, डाकघर और थाना केदवा, जिला-कटिहार।

10. अशोक साह,

11. मनोज साह,

12. संतोष साह

स्वर्गीय रधिया देवी और बासुदेव साह के सभी पुत्र परसबना, डाकघर और थाना पीरपैंती, जिला- भागलपुर।

13 भदिया देवी, पुत्री स्व मघु साह, पत्नी स्व सुकरी साह, निवासी दिघी, सिमानपुर, डाकघर और थाना पीरपैंती, जिला- भागलपुर।

14 रधिया देवी, पुत्री बुधिया देवी एवं स्वर्गीय अशर्फी साह, निवासी ग्राम- केशनपुर लाल बथानी, डाकघर और थाना अमदाबाद, जिला- कटिहार।

… …वादी/उत्तरदाता

15. मसकलैया गांव निवासी स्वर्गीय लक्खी साह के पुत्र लक्ष्मण साह.

डाकघर और थाना तालझारी, जिला- साहिबगंज।

16. दुर्गा साह का पुत्र सिबू साह

17. दुर्गा साह का पुत्र रिमोल साह

18. सुनीति साह, दुर्गू साह की बेटी तथा मुरली साह की पत्नी

सभी निवासी ग्राम- अमरती, डाकघर एवं थाना माणिकचंद, जिला- मालदा

19. जोगी साह, स्वर्गीय सहदेव साह और भदिया देवी के पुत्र, निवासी ग्राम-छोटा जिरवाबाड़ी, पोस्ट-जिरवाबाड़ी, पोस्ट-बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज।

20. प्रदीप साह, स्वर्गीय चंदर साह के पुत्र

21. राजकुमार शाह, स्वर्गीय चंदर शाह के पुत्र

दोनों ग्राम- छोटा जिरवाबाड़ी, पोस्ट- जिरवाबाड़ी, पोस्ट-बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज के निवासी हैं।

22. हरि शाह,

23. फूटू साह,

स्वर्गीय किशन साहंद साबो देवी के दोनों पुत्र, ग्राम- छोटा जिरवाबाड़ी, डाक-घर - जिरवाबाड़ी, थाना- बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज के निवासी

24. निरंजन साह उर्फ दरारी, स्वर्गीय मीठी साह और बसंत साह के पुत्र, निवासी ग्राम-कन्हैया अस्थान, डाक-घर एवं थाना- राजमहल, जिला- साहिबगंज।

25. मुकेश साह, पुत्र स्वर्गीय शांति देवी उर्फ महाबीर साह, निवासी महाजनटोली, डाक-घर एवं थाना- राजमहल, जिला- साहिबगंज।

26. मल्लो देवी, पुत्री स्वर्गीय मारू साह, पत्नी सुरेश साह, निवासी ग्राम- जिरवाबाड़ी, पो. एवं थाना- बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज।

27. फुदकी देवी, पत्नी बैजनाथ साह, पुत्री सुकेल साह उर्फ सुखलाल साह, निवासी ग्राम-बलरामपुर, मनिहारी, डाकघर. और थाना मनिहारी, जिला- कटिहार।

28. रमणी देवी, पत्नी रीतलाल साह, निवासी ग्राम- प्रेमनगर, थाना. एवं थाना.-साहिबगंज, जिला- साहिबगंज।

29. अहिल्या देवी, अजय साह की पत्नी, स्वर्गीय बिश्वनाथ साह की पुत्री, एकचारी दियारा निवासी, डाक- घर एवं थाना बुद्धुचक, जिला- भागलपुर, जिला- मालदा।

स्वर्गीय किशन साहंद साबो देवी के दोनों पुत्र, ग्राम छोटा जिरवाबाड़ी, डाक-घर - जिरवाबाड़ी, पोस्ट-बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज के निवासी

24. निरंजन साह उर्फ दरारी, स्वर्गीय मीठी साह और बसंत साह के पुत्र, निवासी ग्राम-कन्हैया अस्थान, 23. फूटू साह,

स्वर्गीय किशन साहंद साबो देवी के दोनों पुत्र, ग्राम छोटा जिरवाबाड़ी, पोस्ट-जिरवाबाड़ी, डाक-घर -बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज के निवासी

24. निरंजन साह उर्फ दरारी, स्वर्गीय मीठी साह और बसंत साह के पुत्र, निवासी ग्राम-कन्हैया अस्थान, 23. फूटू साह,

स्वर्गीय किशन साहंद साबो देवी के दोनों पुत्र, ग्राम छोटा जिरवाबाड़ी, पोस्ट-जिरवाबाड़ी, डाक-घर -बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज के निवासी

24. निरंजन साह उर्फ दरारी, स्वर्गीय मीठी साह और बसंत साह के पुत्र, निवासी ग्राम-कन्हैया अस्थान, डाकघर और थाना -राजमहल, जिला-साहिबगंज।

25. मुकेश साह, पुत्र स्वर्गीय शांति देवी उर्फ महाबीर साह, निवासी महाजनटोली, डाकघर और थाना -राजमहल, जिला-साहिबगंज।

26. मल्लो देवी, पुत्री स्वर्गीय मारू साह, पत्नी सुरेश साह, निवासी ग्राम- जिरवाबाड़ी,

डाकघर और थाना -बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज।

27. फुदकी देवी, पत्नी बैजनाथ साह, पुत्री सुकेल साह उर्फ सुखलाल साह, निवासी ग्राम-बलरामपुर, मनिहारी, थाना. और पी.एस. मनिहारी, जिला-कटिहार।

28. रमणी देवी, पत्नी रीतलाल साह, निवासी ग्राम-प्रेमनगर, थाना. एवं पी.एस.-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज।

29. अहिल्या देवी, अजय साह की पत्नी, स्वर्गीय बिश्वनाथ साह की पुत्री, एकचारी दियारा निवासी, डाकघर और थाना बुद्धुचक, जिला-भागलपुर।-राजमहल, जिला-साहिबगंज।

25. मुकेश साह, पुत्र स्वर्गीय शांति देवी उर्फ महाबीर साह, निवासी महाजनटोली, डाकघर और थाना -राजमहल, जिला-साहिबगंज।

26. मल्लो देवी, पुत्री स्वर्गीय मारू साह, पत्नी सुरेश साह, निवासी ग्राम- जिरवाबाड़ी, डाकघर और थाना -बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज।

27. फुदकी देवी, पत्नी बैजनाथ साह, पुत्री सुकेल साह उर्फ सुखलाल साह, निवासी ग्राम-बलरामपुर, मनिहारी, थाना. और पी.एस. मनिहारी, जिला-कटिहार।

28. रमणी देवी, पत्नी रीतलाल साह, निवासी ग्राम-प्रेमनगर, थाना. एवं पी.एस.-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज।

29. अहिल्या देवी, अजय साह की पत्नी, स्वर्गीय बिश्वनाथ साह की पुत्री, एकचारी दियारा निवासी, डाकघर और थाना बुद्धुचक, जिला-भागलपुर।-राजमहल, जिला-साहिबगंज।

25. मुकेश साह, पुत्र स्वर्गीय शांति देवी उर्फ महाबीर साह, निवासी महाजनटोली, डाकघर और थाना -राजमहल, जिला-साहिबगंज।

26. मल्लो देवी, पुत्री स्वर्गीय मारू साह, पत्नी सुरेश साह, निवासी ग्राम- जिरवाबाड़ी, डाकघर और थाना -बोरियो (जे), जिला-साहिबगंज।

27. फुदकी देवी, पत्नी बैजनाथ साह, पुत्री सुकेल साह उर्फ सुखलाल साह, निवासी ग्राम-बलरामपुर, मनिहारी, थाना. और पी.एस. मनिहारी, जिला-कटिहार।

28. रमणी देवी, पत्नी रीतलाल साह, निवासी ग्राम-प्रेमनगर, थाना. एवं पी.एस.-साहिबगंज, जिला-साहिबगंज।

29. अहिल्या देवी, अजय साह की पत्नी, स्वर्गीय बिश्वनाथ साह की पुत्री, एकचारी दियारा निवासी, डाकघर और थाना बुद्धुचक, जिला- भागलपुर।

30. कौशल्या देवी, पत्नी कालू साह, पुत्री स्व. विश्वनाथ साह, निवासी ग्राम- महगामा, जिला- गोड्डा

31. पंछी देवी, व्यासमुनि साह की पत्नी, पुत्री स्वर्गीय सहदेव साह एवं भदिया देवी, निवासी ग्राम- चानमोचिया, डाकघर और थाना गंगटी, जिला-गोड्डा।

32. मिथुन साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

33. अजय साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

दोनों ग्राम- जम्हलपुर, डाकघर और थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर के निवासी हैं।

34. कुशमी देवी, पुत्री स्वर्गीय मोहन साह, पत्नी हरिमोहन साह (चंद्रमोहन साह),

35. सेमल साह (श्यामल साह), दुर्गु साह (दुर्गा साह) के पुत्र,

दोनों अमरती, डाकघर और थाना - कालियाचक, जिला- मालदा, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

36. मिला मोस्ट, स्वर्गीय गिरीश साह की पत्नी,

37. रवि कुमार,

38. शशि कुमार,

39. गोरव कुमार शाह, 30. कौशल्या देवी, पत्नी कालू साह, पुत्री स्व. विश्वनाथ साह, निवासी ग्राम- महगामा, डाकघर और थाना - महागामा, जिला. लानत है.

31. पंछी देवी, व्यासमुनि साह की पत्नी, पुत्री स्वर्गीय सहदेव साह एवं भदिया देवी, निवासी ग्राम-चानमोचिया, डाकघर और थाना गंगटी, जिला-गोड्डा।

32. मिथुन साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

33. अजय साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

दोनों ग्राम-जम्हलपुर, डाकघर और थाना -कहलगांव, जिला-भागलपुर के निवासी हैं।

34. कुशमी देवी, पुत्री स्वर्गीय मोहन साह, पत्नी हरिमोहन साह (चंद्रमोहन साह),

35. सेमल साह (श्यामल साह), दुर्गु साह (दुर्गा साह) के पुत्र,

दोनों अमरती, डाकघर और थाना - कालियाचक, जिला- मालदा, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

36. मिला मोस्ट, स्वर्गीय गिरीश साह की पत्नी,

37. रवि कुमार,

38. शशि कुमार,

39. गोरव कुमार शाह,- महागामा, जिला. लानत है.

31. पंछी देवी, व्यासमुनि साह की पत्नी, पुत्री स्वर्गीय सहदेव साह एवं भदिया देवी, निवासी ग्राम-चानमोचिया, डाकघर और थाना गंगटी, जिला-गोड्डा।

32. मिथुन साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

33. अजय साह, स्वर्गीय सुरेश सहंद प्रोमिला देवी के पुत्र,

दोनों ग्राम- जम्हलपुर, डाकघर और थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर के निवासी हैं।

34. कुशमी देवी, पुत्री स्वर्गीय मोहन साह, पत्नी हरिमोहन साह (चंद्रमोहन साह),

35. सेमल साह (श्यामल साह), दुर्गु साह (दुर्गा साह) के पुत्र,

दोनों अमरती, डाकघर और थाना - कालियाचक, जिला- मालदा, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं।

36. मिला मोस्ट, स्वर्गीय गिरीश साह की पत्नी,

37. रवि कुमार,

38. शशि कुमार,

39. गोरव कुमार शाह,

स्वर्गीय गिरीश साह के सभी पुत्र, सभी छोटा चानन, जिरवाबाड़ी निवासी।

डाकघर जिरवाबाड़ी, पी.एस. बोरियो (जे), जिला- साहिबगंज।

……उत्तरदाता/ प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस जीतनारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्रीमान बीरेंद्र कुमार, वकील,
ओ.पी.नंबर 1-5 : श्रीमान राजीव शर्मा, अधिवक्ता
श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता
ओ.पी. के लिए संख्या 11-12 :श्रीमान नरेश पीडी. ठाकुर, अधिवक्ता

08/ दिनांक: 02 फरवरी, 2024

1. तत्काल नागरिक विविध. याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें 2010 के टाइटल सूट नंबर 17 में विद्वान वरिष्ठ सिविल जज-I, साहिबगंज द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित आदेश दिया गया है, जिसके तहत और जहां, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से दिनांक 15.012022 को दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत यह आधार लिया गया है कि चूंकि प्रारंभिक आज्ञा मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित की गई है, इसलिए पूरी आज्ञा शून्यता के सिद्धांत से ग्रस्त है। 28.02.2022 को सीपीसी के आदेश 22 नियम 3 और 4 के प्रावधान के तहत एक और याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि जिन पक्षों की मृत्यु हो गई है वे 2010 के विभाजन मुकदमा संख्या 17 की स्थापना के समय और लंबित रहने के दौरान जीवित थे। पार्टियों की मृत्यु हो गई लेकिन कोई प्रतिस्थापन याचिका दायर नहीं की जा सकी क्योंकि मुकदमा किसी मृत व्यक्ति द्वारा किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर नहीं किया गया है, इसलिए मूल अदालत द्वारा पारित आज्ञा के फैसले को कोई कानूनी पवित्रता नहीं मिली है। याचिका दिनांक 15.01.2022 को खारिज कर दिया गया है जबकि याचिका दिनांक 28.02.2022 को अनुमति दी गई है।

2. याचिका में की गई दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य जिन्हें गिनाना आवश्यक है, इस प्रकार पढ़ें:
वादी ने सर्वे जानने वाले अमीन आयुक्त की नियुक्ति के बाद मुकदमे में आधे हिस्से के प्रारंभिक विभाजन की तैयारी और अदालत में कब्जा देने की आज्ञा के लिए टाइटल सूट नंबर 17/2010 दायर किया, जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हुए और मामले को चुनौती दी और कहा कि लालू साह ने अपनी मेहनत से वाद संपत्ति अर्जित की थी और मुकदमा लड़ा था, लेकिन एल.डी. मुद्दों को तय करने के बाद ट्रायल कोर्ट यानी निर्गत संख्या 4 और 5 वादी के आधे हिस्से के कब्जे और हकदारी के बारे में शीर्षक की एकता के बारे में और दस्तावेजी और साथ ही मौखिक साक्ष्य के माध्यम से जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 11 से 1 4 द्वारा मुकदम लड़ गया और फैसला शेष प्रतिवादियों के विरूद्ध एकपक्षीय था ।

यह कि प्रतिवादियों ने गिरीश साह के कानूनी उत्तराधिकारी सहित सिविल अपील संख्या 22/2018 को प्राथमिकता दी थी और उस वादी संख्या पर 27.09.2018 को एक आवेदन भी दायर किया था। वादी संख्या 7 रधिया देवी की मृत्यु दिनांक 05.08.2017 को हो गयी, प्रतिवादी सं. 2 दुखनी देवी की मृत्यु दिनांक 10.08.2014 को हो गयी तथा प्रतिवादी सं. 7 गिरीश साह की मृत्यु 11.10.2011 को विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश ने उक्त अपील को 14.01.2020 को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि शीर्षक विभाजन मुकदमा संख्या 17/2010 मृत व्यक्तियों के खिलाफ मृत व्यक्तियों द्वारा आगे

बढ़ाया गया था, वह भी न्यायिक रिकॉर्ड के अंतिम तर्क के चरण में पहुंचने से पहले।

कि याचिकाकर्ता को मुकदमे के पक्षों की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद, प्रतिवादी नं. 1 से 4 और 11 से 14 ने पार्टियों की मृत्यु के बारे में 15.01.2022 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि निर्णय और आज्ञा मूल मुकदमे में शून्य हो जाती है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है और प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति के लिए ऑपरेशन को अस्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है, और वादी ने 10.03.2022 को उक्त याचिका दायर किया ,प्रत्युत्तर में कहा गया कि प्रतिवादी ने सिविल अपील संख्या 22/2018 में गलत प्रस्तुतीकरण किया है और अपील को स्वीकार किए बिना खारिज कर दिया गया, इस प्रकार वादी को वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला, हालांकि वादी ने याचिका दायर किया था। वादी और प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 28.02.2022 को प्रतिस्थापन याचिका और 15.01.2022 की याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक याचिका भी दायर की।

वादीगण ने पार्टियों की मृत्यु के बारे में बताते हुए आदेश 22 नियम 3 एवं 4 के सी.पी.सी. 28.02.2022 तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया । इसके बाद, प्रतिवादी ने 10.03.2022 और सिविल अपील संख्या 22/2018 की प्रतिस्थापन याचिका पर प्रत्युत्तर दायर किया । इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

विद्वान न्यायालय ने दिनांक 15.01.2022 के प्रतिस्थापन के साथ-साथ आवेदन और इसके प्रत्युत्तर के लिए याचिका पर पक्षों को सुनने के बाद, आदेश दिनांक 10.05.2022 के माध्यम से पक्षों के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन की अनुमति दी थी, जो तत्काल याचिका का विषय है।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गई दलील से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जो कि 2010 का शीर्षक विभाजन मुकदमा नंबर 17 था। याचिकाकर्ता जो मुकदमे के प्रतिवादी थे और यहां प्रतिवादी भी थे, मुकदमे के सह- वादी थे। मामला संबंधित संपत्ति के हिस्सेदार ने लड़ा था।

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही के बाद 24.04.2018 को प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी है जैसा कि याचिका में संलग्नक- 1 के रूप में संलग्न है।

5. प्रतिवादियों ने सिविल अपील संख्या 22/2018 के फैसले के खिलाफ दिनांक 24.04.2018 इस आधार पर अपील की है कि मूल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादी संख्या 7 की मृत्यु 05.08.2017 को हो गई, प्रतिवादी संख्या 2 की 10.08.2014 को मृत्यु हो गई तथा प्रतिवादी सं. 11 की मृत्यु 11.10.2011 को हो गई।

6. यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में पारित प्रारंभिक निर्णय मृत् वादी में से एक के खिलाफ पारित की गई है और प्रतिवादियों की संख्या दो है, इसलिए, कानून की स्थापित स्थिति यह है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय कानून की नजर में अमान्य होगी लेकिन अपीलीय अदालत ने प्रवेश के चरण में उक्त अपील को खारिज कर दिया है, उसके बाद, मूल अदालत अंतिम निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़ी है।

7. दो याचिकाएं दायर की गई हैं, एक प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,11 द्वारा, 15.01.2022 को 12,13,14 और एक अन्य आदेश के तहत वादी द्वारा दायर किया सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 और 4 के तहत 28.02.2022 को दायर की गई ।

8. याचिका दिनांक 15.01.2022 को दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री को कानून की नजर में अमान्य घोषित किया जाए लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। जबकि सीपीसी के आदेश 22 नियम 3 और 4 के प्रावधान के मद्देनजर प्रतिस्थापन के लिए दायर याचिका को दिनांक 28.02.2022 को अनुमति दी गई है। उपरोक्त आदेश दिनांक 10.05.2022 भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती के अधीन है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री बीरेंद्र कुमार ने यह आधार लिया है कि दिनांक 10.05.2022 को दिया गया आदेश अपने आप में अवैध है क्योंकि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस तथ्य को समझने में विफल रही है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय को सही गया है जो कानून की नजर में अमान्य हो, लेकिन कानून की उक्त स्थिति को स्वीकार करने के बजाय, भले ही याचिका 15.01.2022 को दायर की गई थी, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आदेश 22 नियम के तहत याचिका को देर से यानी 28.02.2022 को दायर करने की अनुमति दी । सीपीसी की धारा 3 और 4 मृत व्यक्ति को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिस्थापित करने की अनुमति देती है, जिसे इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं कहा जा सकता है कि इतने विलंबित चरण में, यह याचिका दिनांक 28.022022. को अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता है।

10. दूसरी ओर, विपरीत पक्षों के विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधारों पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है:

(i) माना जाता है कि मुकदमा वादपत्र की अनुसूची के अनुसार संपत्ति के विभाजन के लिए है और जब प्रतिवादी के लिए वादी का अधिकार और शीर्षक विवाद में नहीं है, तो केवल इसलिए कि कुछ प्रतिवादियों की मृत्यु हो गई है, निर्णय में प्रारंभिक आज्ञा पारित करके निर्णय को आकार देना कानून की दृष्टि में अमान्य नहीं कहा जा सकता।

(ii) उपरोक्त आधार को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा अपील में प्रारंभिक डिक्री में पारित आदेश पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन अपीलीय अदालत ने अपील को खारिज करते हुए उस पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

(iii) अपीलीय अदालत द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है और एक बार अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जो मुकदमे का प्रतिवादी है। उस याचिका की अनुमति नहीं है उनके द्वारा आंदोलित होने और उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखने की।

यदि याचिका दिनांक 28.02.2022 को स्वीकार कर लिया गया है, तो इसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

11. उपरोक्त आधार पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आदेश में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।

12. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के साथ-साथ दलील और दस्तावेजों में उपलब्ध अन्य सामग्री को भी देखा है, लेकिन इस न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलू की सराहना करने और वैधता पर जाने से पहले आदेश की औचित्यता को उस आदेश को संदर्भित करना र उचित समझती है जिसके तहत और जहां विपरीत पक्ष संख्या 1- 14 को नोटिस जारी किए गए हैं, जैसा कि आदेश दिनांक 19.10.2022 से स्पष्ट होगा।

13. उपरोक्त आदेश के क्रम में विपक्षी क्रमांक 1-5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा तथा विपक्षी क्रमांक 11-12 की ओर से श्री नरेश प्रसाद ठाकुर, विद्वान वकील उपस्थित हुए हैं।

14. दिनांक 03.01.2024 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसार विपक्षी संख्या 8 और 9 को नोटिस की सेवा के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए, उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

15. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से यहां क्या तर्क दिया गया है यह न्यायालय विपरीत पक्ष संख्या 8 और 9 की अनुपस्थिति में भी आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है । विपरीत पक्ष संख्या 8 और 9 की अनुपस्थिति में, जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद पारित किया जाना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वाग्रह पैदा नहीं कर रहा है कि मामला विभाजन के मुकदमे से संबंधित है और याचिकाकर्ता, प्रतिवादी द्वारा उठाया गया मुद्दा है। इसके बाद होने वाली चर्चा के मद्देनजर मुकदमे को उचित नहीं कहा जा सकता है, इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हैं कि जो आदेश पारित किया जाना है वह विपरीत पक्ष संख्या के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

16. कानून ने अच्छी तरह से फैसला किया हुआ है कि विभाजन के मुकदमे के मामले में, जहां शीर्षक विवाद में नहीं है, सीपीसी के प्रावधान के अनुसार, वादी या प्रतिवादी के स्थानान्तरण का सिद्धांत लागू किया जाना है।

17. इस तरह के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए यदि वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है, तो हिस्सा कानूनी प्रतिनिधि के पक्ष में जा सकता है क्योंकि शीर्षक या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्से का कोई विवाद नहीं है जो कि है पार्टियों के स्थानान्तरण द्वारा विचार किया जाना है। इस संबंध में मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जाए

***आर. धनसुंदरी @ आर. राजेश्वरी बनाम ए.एन. उमाकांत और अन्य, (2020) 14 एससीसी 1* से जिसमें पैराग्राफ- 8 में यह देखा गया है जो इस प्रकार है:**

> *"8. सिविल मुकदमे के पक्षों से संबंधित प्रक्रिया का कानून अनिवार्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 में निहित है, जो पार्टियों के जुड़ने वाले, गैर- जोड़ने वाले और मिसजॉइंडर से संबंधित विभिन्न पहलुओं से निपटता है। आदेश 1 का नियम 10 विशेष रूप से पार्टियों को जोड़ने, हटाने और प्रतिस्थापन के लिए प्रदान करता है; और किसी पार्टी को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, उसकी प्रकृति के अनुसार, यहां उप-नियम में है*
>
> *(2) आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जो निम्नानुसार है:*
>
> *"**10. (2)** न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में पार्टियों को हटा सकता है या जोड़ सकता है-, किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को उचित लगें, आदेश दे सकता है कि अनुचित तरीके से शामिल हुए किसी भी पक्ष को, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में हो, और किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे शामिल होना चाहिए था, या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकती है चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में है, हटा सकता है । न्यायालय को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और मुकदमे में शामिल सभी सवालों का निपटारा करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए।"*

18. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह न्यायालय अब पार्टियों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी दलील की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

19. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रारंभिक आज्ञा के माध्यम से पारित आज्ञा को कानून की नजर में अमान्य माना जाना चाहिए क्योंकि वादी और दो प्रतिवादियों में से एक की लंबित अवधि में विभाजन मुक़दमा के दौरान मृत्यु हो गई है।

20. वादी या प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने उनके प्रतिस्थापन के लिए दिनांक **28.02.2022** को सीपीसी के आदेश **22** नियम **3** और **4** के तहत एक याचिका दायर की।

21. उक्त याचिका निश्चित रूप से तब दायर की गई थी जब याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त मुद्दे पर प्रारंभिक डिक्री को चुनौती देने वाली अपील दायर की थी, लेकिन अपीलीय अदालत ने उपरोक्त याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया । स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को वादी द्वारा उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, अर्थात अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें डिक्री को दृष्टि में शून्य घोषित करने के संबंध में भी यही बात कही गई है। वादी में से एक और प्रतिवादी में से दो की मृत्यु के कारण कानून की धारा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक डिक्री में पारित डिक्री को अपीलीय अदालत द्वारा अनुमोदित किया गया है।

22. मामला अलग होता यदि वादी ने अपीलीय अदालत द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी होती लेकिन यहां तथ्य यह नहीं है। अत: प्रश्न यह है कि एक बार इस पर विचार किया जाए कि याचिकाकर्ता द्वारा जो दलील दी गई है, उसे अपीलीय अदालत ने मंजूरी दे दी है। उसी का परीक्षण इस अदालत को करना है कि अपीलीय अदालत ने किस आधार पर डिक्री को कानून की नजरों में अमान्य घोषित करते हुए उक्त याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

23. अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला विभाजन वाद से संबंधित है और विभाजन वाद के मामले में, दिए गए निर्णय के अनुसार पक्षों के स्थानान्तरण के सिद्धांत का माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा ***आर.धनसुंदरी उर्फ आर.राजेश्वरी बनाम. ए.एन.उमाकांत और अन्य (सुप्रा)*** में पालन किया जाना है।

24. माना जाता है कि अपीलीय अदालत द्वारा पारित फैसले को उच्च फोरम के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए, अंतिम डिक्री की तैयारी के चरण में विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन थी, दो याचिकाएं दायर की गईं थी ।

25. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, ट्रायल कोर्ट द्वारा उसी आधार को नकारने के प्रश्न को अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि उक्त आधार पर पहले ही गौर किया जा चुका है और अपीलीय अदालत द्वारा इसे स्वीकार न करके निर्णय दिया जा चुका है। दलील है कि विभाजन के मुकदमे में, केवल इसलिए कि प्रतिवादी या वादी की मृत्यु हो गई है, विभाजन के मुकदमे में पारित प्रारंभिक डिक्री को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

26. प्रश्न यह होगा कि यदि निचली अदालत ने दिनांक 15.01.2022 की याचिका को स्वीकार कर लिया होता तो क्या उसी मुद्दे पर अपील खारिज होने के बाद इसे उचित आदेश कहा जा सकता है।

27. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, एक बार जब उक्त मुद्दे को अपीलीय अदालत द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है, जिसे

याचिकाकर्ता ने यहां स्वीकार कर लिया है, तो यह विद्वान ट्रायल कोर्ट पर निर्भर था कि वह उक्त पर विचार करने से इनकार कर दे। डिक्री को कानून की नजर में अमान्य करार देते हुए याचिका दायर की गई क्योंकि प्रारंभिक डिक्री को अपीलीय फोरम द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च फोरम के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया गया है।

28. दूसरी याचिका दिनांक ***28.02.2022*** को सीपीसी के आदेश ***22*** नियम ***2*** और ***3*** के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का उपयोग करके कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए दायर की गई है। इसकी अनुमति भी दे दी गई है और इसे चुनौती भी दी जा रही है।

29. इस न्यायालय का मानना है कि एक बार विभाजन के मुकदमे में स्थानान्तरण के सिद्धांत पर ध्यान दिया जाना चाहिए यदि पार्टियों के शेयर धारक के लिए शीर्षक का कोई विवाद नहीं है, फिर भी, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है विभाजन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और प्रारंभिक डिक्री पारित होने से पहले कोई प्रतिस्थापन आवेदन दायर नहीं किया गया है, यदि प्रतिस्थापन आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो सवाल यह होगा कि स्वामित्व का निर्णय किए बिना या संपत्ति के लिए शीर्षक का मुद्दा उठाए बिना, वादी या प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसलिए, ट्रांसपोज़िशन का सिद्धांत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कानून की स्थिति में है ताकि संबंधित पक्ष के कानूनी उत्तराधिकारियों को संबंधित संपत्ति पर उनके अधिकार से वंचित करके हानिकारक स्थिति में न डाला जा सके।

30. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 15.1.2022 की याचिका को खारिज करते हुए, दिनांक **28.02.2022** की याचिका को अनुमति देकर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कोई त्रुटि नहीं की है।

31. मौजूदा याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के तहत है, जिसमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है और यदि आदेश में स्पष्ट त्रुटि है तो अधिकार क्षेत्र उसी में हस्तक्षेप करने का है। इस संबंध में ***शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर*** पति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जाए, (2010) 8 *एससीसी* 329 में अनुच्छेद ***227*** के दायरे में बताने की कृपा की गई है, जो उच्च न्यायालयों और ***डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड बनाम सुकुमार मुखर्जी एआईआर*** **1951** ***कलकत्ता*** **193** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए फैसले की सहायता लेकर पर्यवेक्षी शक्तियों के लिए संबंधित है रिपोर्ट दी, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद **227** उच्च न्यायालय को सीमित शक्ति प्रदान नहीं करता है जिसका प्रयोग विशेष निर्णयों की कठिनाई को दूर करने के लिए न्यायालय के विवेक पर किया जा सकता है। अधीक्षण की शक्ति एक ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चरित्र की शक्ति प्रदान करती है और इसका प्रयोग उन न्यायिक सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जो इसे इसका चरित्र देते हैं। सामान्य शब्दों में, उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को प्राधिकार की सीमाएं अपने अधीन रखने की शक्ति है ।यह देखना है कि वे वही करें जो उनका कर्तव्य अपेक्षित है और वे इसे कानूनी तरीके से करें।

32. अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक :-
*(*ए) क्षेत्राधिकार की एक अनुचित धारणा, जो किसी अदालत या न्यायाधिकरण में निहित नहीं है*;* या
*(*बी) क्षेत्राधिकार का घोर दुरुपयोग हुआ हो या

(सी) अदालतों या न्यायाधिकरणों में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से अधिकरण **12** के अंतर्गत अनुचित इनकार हुआ हो।

33. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में ***मणि नरीमन दारूवाला बनाम फ़िरोज़ एन. भटेना ने (*****1991) 3** ***एससीसी 141*** के मामले में दिए गए निर्णय की सहायता ली गई है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद **227** के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, अगर कोई सबूत नहीं है, उच्च न्यायालय केवल उस मामले में निचली अदालत या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को रद्द कर सकता है या पलट सकता है जहां कोई भी उचित व्यक्ति संभवतः उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है जिस पर अदालत या न्यायाधिकरण आया है।

34 इस न्यायालय का, यहां ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, यह विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है, जिसके बारे में कहा जाए कि आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

35. तद्नुसार, तत्काल याचिका खारिज की जाती है।

36. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (आवेदनों) यदि कोई हो का भी निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश.)

सौरभ

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।